न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 102/2015
निर्णय दिनांक :04.09.2020

1. भवानीशंकर पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण उम्र 70 वर्ष जाति कुमावत निवासी प्लांट नम्बर 05, प्रियंका कॉलानी खातीपुरो का बाढ़, ढाणी कुमावतान्, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
   1/1 श्रीमती सरजू देवी पत्नि स्वर्गीय श्री भवानीशंकर कुमावत
   1/2 दिनेश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री भवानीशंकर कुमावत
   1/3 रानी पुत्री स्वर्गीय श्री भवानीशंकर कुमावत जाति कुमावत समस्त निवासी प्लाट 05, प्रियंका कॉलानी खातीपुरो का बाढ़, ढाणी कुमावतान्, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. जगदीश पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण उम्र 63 वर्ष जाति कुमावत निवासी सिरोहियों की तलाई, ढाणी कुमावतान्, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. गणपत लाल पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण उम्र 57 वर्ष जाति कुमावत निवासी प्लांट नम्बर 452, सचिवाल विहार, कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. कौशल्या देवी बेवा स्वर्गीय श्री चौथमल उम्र 60 वर्ष जाति कुमावत निवासी गोपाल जी की तलाई के पास, ढाणी कुमावतान्, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. राजेश पुत्र स्व0 श्री चौथमल उम्र 36 वर्ष जाति कुमावत निवासी गोपाल जी की तलाई के पास, ढाणी कुमावतान्, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. सुरेश पुत्र स्वर्गीय श्री चौथमल उम्र 25 वर्ष जाति कुमावत निवासी गोपाल जी की तलाई के पास, ढाणी कुमावतान्, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राकेश सिरोहिया दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री हरिनारायण उम्र 45 वर्ष जाति कुमावत निवासी मकान नम्बर 72/233 केन्द्रीय विधालय नम्बर 05 के पास, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. नारायण लाल सिरोहिया पुत्र स्वर्गीय श्री नानगराम उम्र 75 वर्ष जाति कुमावत निवासी मकान नम्बर 744 मिश्रराजाजी का रास्ता, नमक की मण्डी, इन्दिरा बाजार, जयपुर, जिला जयपुर।
3. सूर्यनारायण पुत्र स्वर्गीय श्री नानगराम उम्र 67 वर्ष जाति कुमावत निवासी डिग्गी–मालपुरा रोड़, पुलिया नम्बर 02, ढाणी कुमावतान्, ग्राम व तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. उप–पंजीयक सांगानेर प्रथम सांगानेर जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.16 17:59:19 IST
Reason: SelfAttested

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि [illegible] प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की पैतृक सम्पत्ति कृ[illegible] 0.17 है0, खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1517 र[illegible] 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1518 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.24 है[illegible]र वाके ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है। नानगराम की मृत्युपरांत मद संख्या 1 में वर्णित सम्पत्ति लक्ष्मीनारायण, हरिनारायण, नारायणलाल, सूर्यनारायण के नाम राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया गया। राकेश पुत्र नारायणलाल, हरिनारायण के गोद चले जाने के कारण हरिनारायण का

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दस्तीक किया गया था वादीगण के पिता/दादा लक्ष्मीनारायण के मृत्युपरांत विरासतन नामान्तकरण वादीगण संख्या 1 लगायत 3 तथा वादी संख्या 4 लगायत 6 के पति/पिता के नाम स्वीकार किया गया जाकर तस्दीक किया गया तथा वादी संख्या 4 लगायत 6 के पति/पिता चौथमल के देहावसान के उपरान्त विरासत नामान्तकरण वादी संख्या 4 लगायत 6 के नाम स्वीकार किया जाकर तस्दीक किया गया। इस प्रकार वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात् में वादीगण संख्या 1 लगायत 6 का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का पृथक–पृथक हिस्सा 1/4 राजस्व अभिलेखो, हाल जमाबन्दी में अंकित है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सेनुसार उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि पर काबिज–काश्त करते चले आ रहे है। जिसका आज तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन नही हुआ है। दिनांक 15.05.2015 को प्रतिवादीगण अपने साथ 8–10 व्यक्तियों को वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर लेकर आये तथा उनसे उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग/खसरा की भूमि को बेचान करने की बातचीत करने लगे, जिसका वादीगण ने विरोध किया तथा प्रतिवादीगण को बिना विभाजन विशिष्ट खसरा/भू–भाग को विक्रय करने के लिये मना किया तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त विवादग्रस्त भूमि का तकासमा करने से साफ इन्कार कर दिया तथा धमकी दी कि वे विवादग्रस्त सम्पत्ति के विशिष्ट भू–भाग/खसरा का किसी बाहुबली व्यक्ति या संस्था को विक्रय कर वादीगण को जबरन बेदखल करके रहेगे व उक्त वर्णित कृषि भूमि पर निर्माण आदि कर गैर कृषि कार्यो में उपयोग करेगे। दिनांक 18.05.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को खोदकर मिट्टी इत्यादी निर्माण सामग्री डलवाकर पुख्ता निर्माण करने पर आमाद हो गये। जिसका वादीगण द्वारा विरोध किया गया तो प्रतिवादीगण गाली–गलौच व लडाई झगडा करने लगे तथा ऐलानिया धमकी दी किवे तो निर्माण करके रहेगे। जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि आराजीयत का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य राजस्व अभिलेखों में हिस्सेनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन करवाने तथा पृथक–पृथक खाता कायम करवाने, पर्चा लगान जारी करवाने व नक्शे में तरमीम करवाने के वादीगण अधिकारी है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाये कि वे वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित सम्पत्ति को बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन किसी व्यक्ति या संस्था को विक्रय, बैय, दान इत्यादि निष्पादित कर किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करे, भूमि को गैर कृषि कार्य में उपयोग–उपभोग व कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे। वाद कारण 15.05.2015 के उक्त घटनाक्रम से उत्पन्न होकर लगातार जारी है। प्रतिवादी संख्या 4 भूमि के हस्तान्तरण के दस्तावेज पंजीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी होने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार वाद पत्र में प्रारूपित पक्षकार बनाये गये है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त शामिल है। प्रतिवादी संख्या 1 और 3 की ओर से श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 बाद तामिल अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षीय का[illegible] 4 व 5 पैरोकार सरकार उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने दिनांक 30.03.2016 [illegible] वादी [illegible] ख्या एक के फौत हो जाने पर आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र पेश [illegible] स्वीकार किया जाकर वादी संख्या एक के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर [illegible] कायम की गयी। वादी की ओर से पी0डब्ल्यू 1 गणपत लाल कुमावत का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेजात प्रदर्श पी0 1 प्रमाणित प्रतिलिपी, जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024 खसरा नम्बर 3042, प्रदर्श पी0 2 प्रमाणित प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 3042, प्रदर्श पी0 3 प्रमाणित प्रतिलिपि नक्श ट्रेश, खसरा नम्बरान 1514, 1515, 1517, 1518 प्रदर्श पी0 4 प्रमाणित प्रतिलिपि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.16 17:59:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 खसरा नम्बरान 1514, 1515, 1517, 1518 पर प्रदर्श डाले गये। पी0डब्ल्यू 1 गणपत लाल कुमावत से दिनांक 25.05.2017 को जिरह की गयी। वादी अधिवक्ता शेष साक्ष्य पेश नही करना चाहा। प्रतिवादीगण द्वारा डी0डब्ल्यू0 1 राकेश सिरोहिया व डी0डब्ल्यू0 2 सूरज नारायण का शपथ पत्र पेश किया। डी0डब्ल्यू0 1 राकेश सिरोहिया से दिनांक 20.09.2017 एवं डी0डब्ल्यू0 2 सूर्य नारायण से दिनांक 03.01.2018 को जिरह की गयी। उभयपक्षों को सुना गया। वकील प्रतिवादी को दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नही होने पर वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी दिनांक 28.06.2018 प्राथमिक डिक्री जारी की गयी।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.06.2018 को किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग कर कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार सांगानेर से दिनांक 18.07.2018 से पूर्व भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/20/2005 दिनांक 21/07/2020 को कुरेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे के भिजवायी गयी जो शामिल मिसल की गयी। वकील वादीगण की कुरेजात रिपार्ट पर एकतरफा बहस सुनी गयी एवं कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अन्तिम डिक्री किया जाकर तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट पर बसह वकील वादीगण सुनी गयी। वकील प्रतिवादीगण को प्राप्त कुरेजता रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही होने पर वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 1514 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1517 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1518 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर वाके ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारों का नाम व पिता का नाम	रंग
1	1514 1514	0.02 0.03	चाही1 चाही1	0.72 1.08	श्रीमती सरजू देवी पत्नि स्वर्गीय श्री भवानीशंकर, दिनेश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री भवानीशंकर रानी पुत्री स्वर्गीय श्री भवानीशंकर हिस्सा 1/4, जगदीश गणपत पुत्रान् स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/2, कौशल्या देवी पत्नी श्री चौथमल, राजेश सुरेश पुत्रान् श्री चौथमल हिस्सा 1/4 कौम कुमावत सा.देह	पीला
योग	किता 2	0.05		1.80		

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारों का नाम व पिता का नाम	रंग
2.	1515 1517	0.01 0.04	गै0मु0 चाह चाही 1	– 1.44	नारायण लाल पुत्र श्री नानगराम कौम कुमावत हिस्सा पूर्ण सा.देह	आसमानी
योग	किता 2	0.05		1.44		

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारों का नाम व पिता का नाम	रंग
3.	1518 1514	0.02 0.03	जाव1 चाही 1 चाही 1	0.18 0.36 1.08	सूर्यनारायण पुत्र नानगराम हिस्सा 1/4 कौम कुमावत सा.देह	गुलाबी
योग	किता 2	0.05		1.62		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.16 17:59:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारों का नाम व पिता का नाम	रंग
4.	1514/1	0.05	चाही1	1.80	राकेश सिरोहिया दत्तक पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/4 कौम कुमावत सा.देह	नारंगी
योग	किता 1	0.05		1.80		

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारों का नाम व पिता का नाम	रंग
5.	1514	0.04	चाही1	1.44	श्रीमती सरजू देवी पत्नि स्वर्गीय श्री भवानीशंकर, दिनेश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री भवानीशंकर रानी पुत्री स्वर्गीय श्री भवानीशंकर हिस्सा 1/16, जगदीश गणपत पुत्रान् श्री लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/8, श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री चौथमल, राजेश सुरेश पुत्रान् श्री चौथमल हिस्सा 1/16, नारायण लाल पुत्र श्री नानगराम हिस्सा 1/4, सूर्यनारायण पुत्र नानगराम हिस्सा 1/4, राकेश सिरोहिया दत्तक पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/4 कौम कुमावत सा. देह	हरा
योग	किता 1	0.04		1.44		

उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **04.09.2020** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.16 17:...
Reason: SelfAttested